गला घोटकर गर्भवती महिला सहित दो साल के बच्चे की हत्या, शव को तालाब में डाला

परिजनों के अनुसार महिला एवं उसका दो वर्षीय पुत्र 11 फरवरी को घर से गायब हो गए थे

भीम, (निसं)। पुलिस थाना अंतर्गत कुशालपुरा के चाकहीरात निवासी एक गर्भवती महिला एवं उसके दो साल के मासूम बच्चे की हत्या कर शव को तालाब में डालने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को भीम तालाब से निकाला और बच्चे का शव जंगल में मिला।

मृतका के परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रियंका देवी पत्नी हरि सिंह एवं उसका 2 वर्षीय पुत्र आर्यन 11 फरवरी को अचानक घर से गायब हो गए थे। परिवार ने आसपास खोजबीन की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद 12 फरवरी को परिजनों ने भीम थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और मोबाइल कॉल डिटेल खंगालना शुरू किया। जांच के दौरान पुलिस को टॉडगढ़ निवासी गोविंदसिंह पुत्र शंकर सिंह एवं उसका साथी राहुलसिंह पुत्र महेंद्रसिंह नाम के युवकों पर शक हुआ। गुरुवार सुबह गोविंद सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि महिला का शव भीम के तालाब में है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मृतका के पति प्रार्थी हरिसिह पिता हीरा सिंह रावत निवासी गांव चॉकहीरात कुशलपुरा पुलिस थाना भीम जिला राजसमंन्द दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 11 फरवरी की रात 11 बजे मेरी पत्नी प्रियंका देवी (21) जो 8 माह की गर्भवती थी, जो मेरे पुत्र आर्यन को साथ मे लेकर घर पर बिना बताये कहीं चली गई। जिस पर मैने 12 फरवरी को गुम होने की पुलिस थाना भीम पर रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। दूसरे दिन मैने व मेरे परिवार वालों ने घर पर देखा तो मेरी पत्नी प्रियंका देवी, मेरी मां प्यारी देवी व जेठानी पुष्पा देवी के करीब आठ तोला सोने एवं 3 किलो चांदी के जेवर व 20 हजार रुपये घर पर नहीं मिले। हमने मेरी पत्नी प्रियंका व लड़के आर्यन की आसपास व रिश्तेदारी मे काफी तलाश की। गोविन्दसिंह पिता शंकर सिंह रावत निवासी कानोतो की वैर थाना टॉडगढ़ मेरी पत्नी प्रियंका से मोबाईल फोन पर बातचीत करता था।

भीम में हादसे के बाद पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से पूछताछ की।

- **सोने-चांदी के जेवर सहित 20 हजार नकद हड़पकर बच्चे की लाश को दर्रा के जंगलों में ही फेंक दी तथा महिला की लाश को पत्थर बांधकर भीम तालाब में डाल दिया था**
- **मृतका के फोन कॉल डिटेल से हुई आरोपियों की पहचान, आरोपियों ने वरदात करना कबूल की**

17 फरवरी को जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल खुमानसिंह ने गोविन्दसिंह से पूछताछ की तो गोविन्दसिंह ने बताया कि 11 फरवरी की रात को मैने प्रियंका देवी को वाट्सअप कॉल करके जेवरात लेकर घर से बुलाया। मैं व मेरा दोस्त राहुल सिंह पिता महेन्द्रसिंह रावत निवासी खुटा की बड़ी पुलिस थाना टॉडगढ़ दोनों प्रियंका व आर्यन को एक कार में बैठा कर दर्रा के जंगल में ले गये। मैने व मेरे दोस्त राहुलसिंह ने मिलकर प्रियंका व उसके लड़के आर्यन की दर्रा के जंगल में गला घोंट कर हत्या कर दी। आर्यन की लाश को दर्रा के जंगल में ही फेंक दी। प्रियंका की लाश को भीम तालाब में डाल दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार सुबह राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारीक पहुंचे। पुलिस उप अधीक्षक राकेश वर्मा, भीम थाना अधिकारी सीआई सवाई सिंह राठौर, दिवेर थाना अधिकारी दौलत सिंह चौहान, भीम तहसीलदार मनोज कुमार गांग सहित भारी पुलिस बल भीम तालाब की पाल पर घटनास्थल का मौका निरीक्षण कर परिजनों को सांत्वना दी एवं आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

मृतक महिला व बच्चे का फाइल फोटो।

पुलिस और एनडीआरएफ की टीम और एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची तथा एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने करीब एक घंटे तक चले अभियान के बाद तालाब से प्रियंका का शव बाहर निकाला। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। पूछताछ में आरोपी ने यह भी बताया कि बच्चे का शव दर्रा गांव के पास जंगल में फेंका गया है। इसके बाद पुलिस, एसडीआरएफ टीम और ग्रामीणों की मदद से जंगल क्षेत्र में सघन सर्च अभियान चलाया। जहां दोपहर तक मासूम बच्चे आर्यन के शव को ढूंढने में सफलता मिली।

भीम सीआई सवाई सिंह राठौड़ ने बताया कि मृतका एवं बच्चे के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। हत्या के मामले में मृतक प्रियंका देवी एवं उसके बच्चे आर्यन का शव भीम पुलिस ने उप जिला चिकित्सालय भीम के मोर्चरी में रखवाया तथा मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरु किया है।

टोंक : पीडी एग्रो इंडस्ट्रीज पर आयकर की रेड

टोंक/निवाई, (निसं)। वनस्थली मोड़ स्थित औद्योगिक क्षेत्र में पीडी एग्रो इंडस्ट्रीज पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है।

कार्रवाई दोपहर करीब एक बजे शुरू हुई, जिसके बाद से इंडस्ट्रीज परिसर के बाहर दिल्ली, जयपुर व अजमेर नंबर की कई गाड़ियां खड़ी है एवं आरएसी के जवान तैनात है। विभाग के उच्चाधिकारी इंडस्ट्री के दस्तावेजों की जांच में जुटे रहे। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई जयपुर के कान्हा रेस्टोरेंट पर हाल ही में पड़ी रेड से जुड़े मामले का हिस्सा बताई जा रही है। चर्चा है कि संबंधित फर्म से दाल व बेसन की वहां सप्लाई होती थी। जिसकी वित्तीय लेन-देन को लेकर जांच की जा रही है। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं और अधिकारिक रूप से किसी भी तरह की जानकारी साझा नहीं की गई है। कार्रवाई देर शाम तक जारी रहने की सूचना है। स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर औद्योगिक क्षेत्र में हलचल बनी हुई है। विभागीय टीम द्वारा खातों, बिलों एवं अन्य वित्तीय दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है।

चोरी के मामले में फरार अपराधी को पकड़ा

आरोपी पांच साल से फरार था

जोधपुर, (कासं)। ग्रामीण पुलिस की विशेष टीम ने चोरी के मामले में पांच साल से फरार चल रहे पांच हजार रुपए के एक इनामी अपराधी को पकड़ा है। उसके विरूद्ध पूर्व में लूट व चोरी के आठ प्रकरण दर्ज हैं और गिरफ्तारी के डर से लगातार ठिकाने बदल रहा था। उसे डीएसटी जोधपुर ग्रामीण ने बोरानाडा क्षेत्र से दस्तयाब किया है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला विशेष टीम द्वारा स्थाई वारंटी व पांच हजार रुपए के इनामी अपराधी रावर, पुलिस थाना कापरड़ा निवासी सुरेन्द्रसिंह पुत्र मदन सिंह को दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की है। उसके खिलाफ पीपाड़ शहर थाना में चोरी का मामला दर्ज था। जिला विशेष टीम के कांस्टेबल पप्पूराम की सूचना पर डीएसटी प्रभारी श्रवणकुमार भवंरिया मय टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जोधपुर शहर के बोरानाडा एरिया में दबिश देकर उसे दस्तयाब किया तथा अग्रिम अनुसंधान के लिए पुलिस थाना पीपाड़ शहर को सुपुर्द किया गया।

कार्यालय अधिशाषी अभियंता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड कोटा

क्रमांकः- अअ/जिग्रा/अंके/2025-2026/2230-2248 दिनांक : 10.02.2026
Phone No. 0744-2500598 Email eephed ddrkota@ymail.com

Notice Inviting Bid

Bid for NIT No. 77/2025-2026 to 81/2025-2026 are Invited from interested bidders upto 6.00 PM on 23.02.2026. Other particulars of bid may be visited on the procurement portal sppp.rajasthan.gov.in of the State & www.rajwater.gov.in Departmental Website. Tenders are to be submitted online on website http://eproc.rajasthan.gov.in.
NIB No:- PHE2526A6424
UBN:- (PHE2526WSOB13822) UBN:- (PHE2425WSOB13823)
UBN :- (PHE2425WSOB13824) UBN:- (PHE2425WSOB13825)
UBN:- (PHE2425WSOB13826)

(हरिओम सैनी)
अधिशाषी अभियंता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
जिला ग्रामीण खण्ड कोटा

DIPR/C/3504/2026

भिवाड़ी हादसा : मृतकों के परिवारों को बैंक खाते में सहायता राशि भेजी

भिवाड़ी/खैरथल, (निसं)। भिवाड़ी के खुशखेडा-करौली औद्योगिक क्षेत्र में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में सात मजदूरों की जिंदा जलकर हुई मौत की दुखद घटना के बाद सरकार और जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता व त्वरित कार्रवाई का उदाहरण पेश किया है।

इस दुखद घटना में दो युवक नाबालिग है, जिसमें मिंटू कुमार 14 वर्ष व अमरेश की उम्र 17 वर्ष बताई गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन ने 48 घंटे के भीतर मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराई है। जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की।

राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत प्रशासन ने आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूर्ण किया। जिससे आर्थिक सहायता राशि शीघ्र ही परिजनों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा सकी। उक्त घटना में मृत सात व्यक्तियों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से तीन-तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस प्रकार कुल 21 लाख रुपये की सहायता राशि सीधे संबंधित परिजनों के बैंक खातों में जमा कराई गई। इसमें मृतक मिंटू की माता देवंती, सुजनत कुमार के पिता शिवजी पसवान, श्याम कुमार की माता नीतू देवी, अभिषेक की पत्नी मीना कुमारी, अमरेश की माता सेमा देवी, रवि कुमार की माता रीता देवी, मंटू कुमार की माता पिंटा देवी के बैंक खाते में सहायता राशि स्थानांतरण की गई है। इस दुखद घटना में दो युवक नाबालिक रहे है। इस के साथ ही सरकार ने इस भीषण हादसे में घायल हुए श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।

छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल का कारावास

भीलवाड़ा, (निसं)। मासूमों के साथ होने वाले अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या-01 ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी सत्यनारायण उर्फ सत्तु को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह मामला 25 जुलाई 2025 का है, जब प्रार्थिया ने एक थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी सत्यनारायण नशे की हालत में भोर के समय प्रार्थिया के घर में घुस गया था। जब प्रार्थिया और उसकी नाबालिग पुत्री सो रहे थे, तब आरोपी ने कमरे में घुसकर बच्ची के अश्लील हरकतें की। नाबालिग और उसकी माँ के चिल्लाने पर परिवार के सदस्य और मोहल्ले के लोग तुरंत सहायता के लिए पहुंचे। भीड़ ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने पैरवी की।

राज्यपाल आज भीलवाड़ा दौरे पर

भीलवाड़ा, (निसं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शुक्रवार, 20 फरवरी को भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रमानुसार वे प्रातः 08:20 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा भीलवाड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे तथा प्रातः 10:15 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड, भीलवाड़ा पहुंचेंगे। राज्यपाल बागड़े सड़क मार्ग से संगम विश्वविद्यालय के लिए प्रस्थान कर 10:35 बजे वहां पहुंचेंगे। तत्पश्चात 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक वे संगम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता करेंगे। दोपहर 1:30 बजे राज्यपाल हरि सेवा धर्मशाला के लिए प्रस्थान करेंगे तथा 1:45 बजे वहां पहुंचेंगे। वे दोपहर 1:45 बजे से 2:10 बजे तक आयोजित 'सनातन मंगल महोत्सव' कार्यक्रम में भाग लेंगे।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
रजि. ऑफिस.- विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर-302005
Website:http://energy.rajasthan.gov.org/jvvnl
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (कोटा संभाग)
नयापुरा पॉवर हाऊस, खाई रोड, कोटा- 324001
दूरभाष नं. 0744- 2320881, 2450066 ईमेलः- zcekz@jvvnl.org

ई-निविदा सूचना

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में निम्न कार्य हेतु दो भागों में ई-निविदा (तकनीकी-वाणिज्यिक) एआरसी 2023 पर योग्य निविदादाताओं से श्रम दर पर आमंत्रित किये जाते हैः- कोटा वृत में उपखण्ड सहायक अभियन्ता (पवस) जेपीडी, सांगोद के अन्तर्गत 33/11 केवी छत्रपुरा सब स्टेशन व इसके अंतर्गत 33 केवी लाईन निर्माण कार्य करने हेतु (टीएन-48/2025-26) (UBN:VVN2526WSOB00995), उपखण्ड सहायक अभियन्ता (एचटीएम-डीडी) जेपीडी, कोटा के अन्तर्गत 33/11 केवी पदमपुरा सब स्टेशन व इसके अंतर्गत 33 केवी लाईन निर्माण कार्य करने हेतु (टीएन-49/2025-26) (UBN:VVN2526WSOB00996), झालावाड़ वृत्त के अधिकार क्षेत्र में टीएन-50/2025-26 के अंतर्गत सहायक अभियंता (एचटीएम- I) जेपीडी,झालावाड़ के अधीन 132 केवी जीएसएस रायपुर से कई 33/11 केवी सब स्टेशनों के 33 केवी इंटरकनेक्श करने हेतु। (UBN:VVN2526WSOB00997) योग्य निविदादाता सम्पूर्ण निविदा सम्बन्धित दस्तावेज ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 20.02.2026 से डाउनलोड कर सकते है। टीएन-48से टीएन-50 के लिए निविदाऐं ऑनलाईन ई-पोर्टल पर दिनांक 04.03.2026 को सांय 05:00 बजे तक ही स्वीकार की जावेगी। निविदा सम्बन्धी जानकारी, कार्य का विवरण इत्यादि जयपुर विद्युत वितरण निगम की वेबसाईट http://www.sppp.rajasthan.gov.in & http://www.eproc.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

जेपीआर-3125 (2026)
राज.संवाद/सी/25/20833

संभागीय मुख्य अभियंता (कोटा संभाग)
बिजली शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 180 6507

पंचों ने एक परिवार को समाज से बहिष्कृत किया

जोधपुर, (कासं)। निकटवर्ती मथानिया के खुडियाला गांव में एक परिवार को समाज के पंचों ने पंचायती कर बहिष्कृत कर हुक्का-पानी बंद कर दिया। अर्थदंड के तौर पर डेढ़ लाख फिर 2100 रूपए वसूल लिए गए। इसके बावजूद भी समाज में शामिल नहीं किया गया और मनमाने ढंग से खर्चा करवा रहे हैं। पीड़ित परिवार के एक सदस्य की तरफ से नामजद कुछ पंचों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।

मथानिया पुलिस ने बताया कि जोधपुर पुलिस आयुक्तालय के सामने रेलवे नेहरू कॉलोनी में रहने वाले मूलाराम मेघवाल की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि खुडियाला गांव में बहन- बहनोई रहते हैं। समाज के कुछ पंचों ने गत साल दिसम्बर में उनका हुक्का पानी बंद कर बहिष्कृत कर दिया। परिवार से डेढ़ लाख रूपए लिए, फिर 21 सौ रूपए ले लिए गए। समाज के कुछ पंचों को नामजद किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार समाज के एक लड़की द्वारा वर्ष 2022 में सुसाइड किया गया था। जिसके बाद से पंचों द्वारा परिवार पर दबाव बनाया और बहिष्कृत कर दिया गया।

मॉडल उत्तर कुंजी जारी

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लेक्चरर (आयुष विभाग) परीक्षा-2025 के अंतर्गत 8 विषयों की मॉडल उतरकुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं।

आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि उक्त विषयों की परीक्षा का आयोजन 12 जनवरी 2026 को किया गया था। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उतरकुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 21 से 23 फरवरी को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाईन दर्ज करवा सकता है।

पांच साल से एक ही जगह पर कार्यरत कर्मचारी हटेंगे!

बीकानेर, (निसं)। शिक्षा निदेशालय में इस वक्त खलबली मची हुई है, क्योंकि साल भर पहले निदेशालय की मीटिंग में मंत्री जो कह कर गए थे उसकी पालना नहीं हुई। ऊपर से उनके आदेश के विरुद्ध जाकर निदेशालय और सचिवालय से निर्णय हो रहे है। इसलिए मंत्री खफा हैं और उन्होंने निदेशालय में पांच साल से ज्यादा जमे लोगों के नाम मांगे हैं। मंगलवार से ही लिस्ट बनानी शुरू हो गई। माना जा रहा है कि जल्दी ही निदेशालय में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कुछ वित्तीय सलाहकारों पर भी तलवार लटक सकती है।

शिक्षा विभाग में हितकारी निधि में जरूरत से ज्यादा कार्मिक लगे हुए हैं। मंत्री ने 2024 में ही हितकारी निधि में लगे 3 कार्मिकों को हटाने के लिए कहा था मगर मंत्री के आदेश निदेशालय में कैसे दरकिनार किए जाते हैं वो इस वक्त के हालात से पता लग रहा है। इसके साथ ही मंत्री ने पिछले साल निदेशालय में मीटिंग ली थी। उसमें पांच साल से जमे कार्मिकों को हटाने के निर्देश दिए थे।

कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभ्यारण्य, धौलपुर
महिला पुलिस थाने के पास हाउसिंग बोर्ड, पुरानी छावनी, धौलपुर पिन कोड 328001 Email ID:-dcfwl.ncs.forest@rajasthan.gov.in
क्रमांकः एफ ()/ उवसं/वजीधौ./राचघअ./2025-26/478 **Notice Inviting Tender** दिनांकः- 12/2/26
Tenders are invited from eligible contractor/firm/for Dual desk purchasing

क्र. स.	सूचना संख्या मय दिनांक	कार्य का नाम	Start Date	निविदा (बोली) डाउनलोड एवं अपलोड करने की अन्तिम समय एवं दिनांक	GEM No.	अनुमानित लागत रूपये में	निविदा संख्या
1	Rajkaj Ref No.: 20500369 Date 12.02.2026	राजकीय विद्यालयों में बच्चों के बैठने हेतु Supply and installation of modular plastic Class Room Table (Dual Desk) with Attached Chair क्रय हेतु	12.02.2026	10.00 AM 23.02.2026	GEM/2026/ 8/7232246	24,00,000	84/ 2025-26

Tender Can be seen and downloaded at the procurement portal http://sppp.rajasthan.gov.in & http://gem.gov.in of the state.

(डा. आशीष व्यास) उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभ्यारण्य धौलपुर

DIPR/C/3451/2026

बीकानेर में आयकर विभाग ने 140 बीघा जमीन जब्त की

बीकानेर, (निसं)। कृषि भूमि को पहले कथित तौर पर अलग-अलग नामों से खरीदना, फिर उन्हें पार्टनरशिप फर्मों में ट्रांसफर करना, उसके बाद कंपनी संरचना बनाकर आवासीय कॉलोनी विकसित करने की तैयारी। यह पूरा खेल परत-दर-परत रचा गया। आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई ने इस कथित नेटवर्क की कड़ियां जोड़ते हुए अब तक करीब 140 बीघा जमीन को अंतरिम तौर पर जब्त कर लिया है। जब्त संपत्तियों की डीएलसी दर लगभग 75 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि बाजार मूल्य 200 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है। संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जांच में डेयरी व्यवसाय से जुड़े अशोक कुमार मोदी और उनके सहयोगियों के नाम सामने आए हैं।

आरोप है कि वर्षों पहले कृषि जमीनें बेनामी नामों से खरीदी गईं। बाद में उन्हीं नामों को आधार बनाकर पार्टनरशिप फर्में गठित की गई और भूमि का स्वामित्व फर्मों में स्थानांतरित किया गया। अगला चरण कंपनी गठन का था, जिसके जरिए रेजीडेंशियल कॉलोनी विकसित करने की तैयारी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस पूरी संरचना के जरिए वास्तविक लाभार्थियों की पहचान छिपाने की कोशिश की गई। उदासर स्थित 23.5 बीघा भूमि, जिसकी डीएलसी कीमत करीब 50 करोड़ रुपए और बाजार मूल्य 100 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है, को अंतरिम जब्ती में लिया गया है। इसके अलावा शिवबाड़ी क्षेत्र में आवासन मंडल को समर्पित 115 बीघा भूमि को भी बेनामी मानते हुए कार्रवाई की गई है। इस परियोजना में विकसित हिस्से का 25 प्रतिशत भाग संबंधित पक्षों को मिलने की शर्त सामने आई है। इस भूमि का बाजार मूल्य भी 100 करोड़ रुपए से अधिक आंका जा रहा है। कुछ जमीनें एससी-एसटी श्रेणी के नामों से खरीदी गई, जिससे वैधानिक जटिलताओं से बचते हुए नियंत्रण बनाए रखा जा सके। बाद में इन्हीं नामों से बनी फर्मों के जरिए कई संपत्ति लेनदेन किए गए। जांच एजेंसी अब बैंकिंग ट्रेल, फर्म रजिस्ट्रेशन दस्तावेज, शेयर होल्डिंग पैटर्न और स्वामित्व हस्तांतरण की श्रृंखला की गहन पड़ताल कर रही है। इस नेटवर्क की निगरानी लंबे समय से की जा रही थी। प्रारंभिक सूचना के बाद वित्तीय लेनदेन और भूमि अभिलेखों का मिलान किया गया, जिसके बाद अंतरिम जब्ती की कार्रवाई की गई। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारियों ने आधिकारिक टिप्पणी से इनकार किया है, लेकिन दस्तावेजों की पड़ताल तेज कर दी गई है।

- **नाम बदलकर खरीदी कृषि भूमि, फर्म-कंपनी बनाकर कॉलोनी काटने वाले थे**

जांच में सामने आया कि जमीन सीधे अंतिम लाभार्थी के नाम पर नहीं थी। पहली परत में व्यक्तिगत खरीदार, दूसरी परत में पार्टनरशिप फर्म और तीसरी परत में कंपनी संरचना बनाई गई। इससे संपत्ति का वास्तविक नियंत्रण छिपा रहा, जबकि कागजों में स्वामित्व अलग-अलग संस्थाओं के पास दिखाई देता रहा। कुछ भूखंडों का हिस्सा सरकारी अधिग्रहण योजनाओं के लिए समर्पित कर परियोजना को वैधता का आवरण देने की रणनीति भी अपनाई गई। जांच एजेंसी अब यह देख रही है कि फर्मों के बीच हुए लेनदेन का वास्तविक वित्तीय स्रोत क्या था और लाभ का प्रवाह किन खातों तक पहुंचा। यदि दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड में विसंगति सिद्ध होती है, तो अंतिम कुर्की और दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। फिलहाल बीकानेर में हुई यह कार्रवाई बड़े बेनामी नेटवर्क की ओर संकेत कर रही है।

774 किलो डोडा-पोस्त जब्त, पांच तस्कर गिरफ्तार

डंपर और कार जब्त, नीमच से लाया गया था मादक पदार्थ

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राजेश मीणा के निर्देश पर स्पेशल टीम और पिंडवाड़ा पुलिस ने 774 किलो अवैध डोडा-पोस्त जब्त कर पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है।

रेंज स्पेशल टीम प्रभारी उप निरीक्षक देवाराम और पिंडवाड़ा थानाधिकारी महेंद्र सीरवी की टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने एक डंपर से अलग-अलग बोरियों में भरा 774 किलो डोडा- पोस्त बरामद किया। डोडा-पोस्त को डंपर में छिपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने डंपर की एस्कॉर्टिंग कर रही एक स्विफ्ट कार को भी जब्त किया है। इसके साथ ही तस्कर दीपाराम, प्रकाश और मनोहर सहित पांच लोगों को पकड़ा है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि डंपर में विशेष रूप से खाना बनाकर डोडा-पोस्त छिपाया गया था। इसे नीमच से जालौर जिले के सांचौर ले जाया जा रहा था।

दो लाख की स्मैक के साथ आरोपी को पकड़ा

टोंक, (निसं)। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिला स्पेशल टीम ने सदर थाना क्षैत्र अवैध मादक पदार्थो के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आठ ग्राम स्मैक जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में दो लाख रुपये की स्मैक व 12400 रुपये और मोबाइल बरामद किये हैं।

डीएसटी प्रभारी ओमप्रकाश ने बताया कि टीम द्वारा थाना क्षेत्र सदर टोंक में नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ के साथ आरोपी भीम सिंह पुत्र कामदार साँसी निवासी पोल्याडा थाना दुनी हाल गणेशजी मंदिर के सामने सोरण रोड को गिरफ्तार किया जाकर उसके कब्जे से करीब 8 ग्राम स्मैक व खरीद-फरोख्त की नकद राशि एवं एक मोबाइल फोन जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है।

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड द्वितीय, बीकानेर
पीएचईडी कैम्पस, इण्डस्ट्रीयल एरिया के जी कॉम्पलेक्स के पास रानीबाजार, बीकानेर (331001)

क्रमांक-7626-39 **Notice Inviting Bid : 211 to 220/2025-26** दिनांक-13.02.2026
Bid for various works are invited to registered interested bidder upto 26-02-2026 at 18.00 hours. Other particulars of bid may be visited on the procurement portal www.sppp.rajasthan.nic.in & "http:/eproc.rajasthan.gov.in" of the state. The approximate value of the procurement of Rs. 272.00 lacs.

NIT No.	211	212	213	214	215
UBN No.	PHE2526 WSOB14187	PHE2526 WSOB14188	PHE2526 WSOB14189	PHE2526 WSOB14190	PHE2526 WSOB14191
NIT No.	216	217	218	219	220
UBN No.	PHE2526 WSOB14192	PHE2526 WSOB14193	PHE2526 WSOB14194	PHE2526 WSOB14195	PHE2526 WSOB14196

(नरेश कुमार रैगर) अधिशाषी अभियंता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड-11, बीकानेर

DIPR/C/3227/2026

राजस्थान सरकार
उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग करौली

क्रमांकः लेखा/निविदा/2026/206 दिनांकः- 13-02-2026

ई-निविदा सूचना संख्या 01/2025-26

श्रीमान निदेशक महोदय जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान जयपुर के भारत की जनगणना 2027-के कार्य सम्पादन हेतु जिला एवं चार्ज स्तर पर हार्डवेयर क्रय करने के लिए ई-निविदा आमन्त्रण दिनांक को सांय 05 बजे तक मय बिड सिक्यूरिटी राशि के दो लिफाफा पद्धती के आधार पर e-Proc Portal पर ऑनलाईन निम्नानुसार किया जाता है। ऑनलाईन प्राप्त तकनीकी निविदाएँ दिनांक 23.02.2026 को प्रातः 02.00 बजे ऑनलाईन खोली जावेगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	बोली प्रपत्र शुल्क (रू.में)	ई-निविदा शुल्क प्रोसेसिंग (रू.में)	बोली प्रतिभूति राशि	ऑनलाईन बोली: निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की दिनांक व समय	ऑनलाईन बोली: निविदा प्रपत्र अपलोड करने की दिनांक व समय	ऑनलाईन बोली: ऑनलाईन खोलने की दिनांक व समय
1	जिला स्तर चार्ज स्तर (समस्त तहसील / नगरपरिषद/नगर पालिका ओं) में हार्डवेयर क्रय करने हेतु	21.00/-	1000/-	500/-	42000/-	15.02.2026 11.00 AM से	23.02.2026 10.00 AM तक	23.02.2026 2.00 PM

निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता में निहित होगा। निविदा से सम्बन्धित समस्त शर्तें व जानकारी राजस्थान लोक उपापन की वेबसाइट https://sppp.rajasthan.gov.in एवं https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं।
नोट :- मूल डी.डी/बैंकर चैक दिनांक 23/02/2026 समय प्रातः 11:00 बजे तक कार्यालय में जमा करवानी होगी अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
NIB NO ESD2526A0059
UBN NO ESD2526GLOB00057

उप निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
करौली

DIPR/C/3528/2026